न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 58/2023 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2023/ 50)

गुरमेल कौर पत्नि पालासिह, जाति रायसिंख, साकिन दुलापुर केरी चक 11 के. पी.डी. तहसील घड़साना, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये राजकीय अभिभाषक
2. इकबाल सिंह पुत्र तोता सिह, जाति रायसिख, निवासी 11 के.पी.डी. तहसील घड़साना, जिला श्रीगंगानगर।
3. गुरबचन सिह पुत्र तोता सिह, जाति रायसिख, निवासी 11 के.पी.डी. तहसील घड़साना, जिला श्रीगंगानगर।
4. प्रेम सिह पुत्र तोता सिह, जाति रायसिख, निवासी 11 के.पी.डी. तहसील घड़साना, जिला श्रीगंगानगर।
5. पाला सिह पुत्र तोता सिह, जाति रायसिख, निवासी 11 के.पी.डी. तहसील घड़साना, जिला श्रीगंगानगर।
6. विमला पत्नी चरण सिह पुत्री तोता सिह, जाति रायसिख, निवासी 4 के.एम. तहसील अनूपगढ।
7. मितो बाई पत्नि काला सिह पुत्री तोता सिह जाति रायसिख निवासी लेली वाला तहसील फिरोजपुर (पंजाब)
8. विमल कौर पत्नि मुखत्यारसिह, जाति रायसिख निवासी गुरूसर सेनेवाला, तहसील व जिला बटिण्डा (पंजाब)
9. अंग्रेज सिह पुत्र मुखत्यारसिह
10. कुलदीप सिह पुत्र मुखत्यारसिह
11. जसविन्द्र कौर पुत्री मुखत्यारसिह
12. रिकू कौर पुत्री मुखत्यारसिह
13. सन्दीप कौर पुत्री मुखत्यारसिह
    रेस्पोडेन्ट सं. 9 ता 13 नाबालिकान जरिये कुदरती वली माता विमल कौर पत्नि मुखत्यारसिह, जाति रायसिख निवासी गुरूसर सेनेवाला, तहसील व जिला बटिण्डा (पंजाब)
14. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत 22 आर.जे.डी. पंचायत समिति घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
15. पासी बाई पत्नि श्री गुरदीप सिह, जाति रायसिख निवासी गुडिया, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ(राज.)
16. मनजीत कौर पत्नि श्री सुरजीत सिह, जाति रायसिख, निवासी गुडिया, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ (राज.)

रेस्पोडेंट

उपस्थितः
1. श्री गगन मोदी — अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री राजेश बैद — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3, 6, 7, 8
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली — राजकीय अभिभाषक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय **दिनांकः 26.03.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी घड़साना अपील सं. 16/2013 निर्णय दिनांक 07.07.2015 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने ग्राम पंचायत 22 आर जे डी, तहसील घड़साना द्वारा स्वीकृत इन्तकाल सं. 146 दिनांक 05.07.2013 के विरूद्व उपखण्ड अधिकारी घड़साना मे अपील पेश कर उक्त इन्तकाल को निरस्त कर अपील में वर्णित भूमि अपीलान्ट के नाम से ईन्तकाल स्वीकृत करने के आदेश दिये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी घड़साना द्वारा अपने निर्णय दिनांक 07.07.2015 द्वारा अपीलान्ट की अपील को खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर मातहत अदालत का आदेश दोयम दिनांक 05.07.2013 एवं 07.07.2015 को निरस्त कर वसीयत के आधार पर अपीलान्ट के नाम इंतकाल दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे का निवेदन किया गया है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 4, 5 एवं 9 ता 16 को जरिये साधारण सम्मन/रजिस्ट्र्ड सम्मन सूचित किये जाने के बावजूद उपस्थित नही आये। दिनांक 13.06.2023 को इनके विरूद्व एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो को ही अपनी अंतिम बहस बताया। उन्होने अपील मीमो मे अंकित कि अपीलान्ट की सास श्रीमती जीवा बाई पत्नि तोता सिह के नाम तहसील घड़साना के चक 11 के पी डी में मुरब्बा नं. 28 पत्थर नं. 159/41 के किला नं. 14 ता 25 में 2.911 हैक्टेयर खातेदारी भूमि थी। अपीलान्ट अपनी सास जीवा बाई के पास रहती थी तथा अन्य वारिसान पंजाब मे रहते थे। जीवा बाई अपीलान्ट की सेवा चाकरी से प्रसन्न थी, इसलिए उन्होने अपने जीवनकाल में ही स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थचित से एक वसीयत दिनांक 10.05.1997 को अपीलान्ट के हक मे करवायी तथा वसीयत में कोई परिवर्तन जीवा बाई ने अपने जीवनकाल में नही किया। जीवा बाई की मृत्यु दिनांक 25.07.2006

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

को बीमारी के दौरान हुई थी। जीवा बाई के सारे संस्कार करने के बाद अपीलान्ट के पति पाला सिह बीमार हो गये थे, जिनका ईलाज करने में करीबन 3–4 साल का वक्त लग गया था। इसी दौरान बाला–बाला रूप से रेस्पोडेन्ट नं. 2 ता 13 ने साझ बाझ कर तथ्य छुपाते हुए विरासतन इंतकाल दर्ज करवा दिया। ग्राम पंचायत ने दिनांक 05.07.2013 को जो इंतकाल दर्ज किया वह एक तरफा तौर पर अपीलान्ट को बिना सुने दर्ज किया है, ग्राम पंचायत 22 आर जे डी, ने ऐसे आधार को वारिस प्रमाण पत्र के रूप में माना है, जिन्हे देने का अधिकार उन्हे नही था। वारिस प्रमाण पत्र संक्षम न्यायालय से ही जारी करवाया जा सकता है। इस तथ्य को दरकिनार कर अदालत मातहत ने दिनांक 07.07.2015 को जो निर्णय दिया है व निरस्त योग्य है। यदि उक्त वसीयत कुटरचित है तो रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 12 विधिक कार्यवाही करे तथा सिविल न्यायालय में इस वसीयत को निरस्त करवाने की कार्यवाही करें इस तथ्य पर गौर न कर अदालत मातहत ने कानूनी भूल की है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 12 ने अपील के दौरान रेस्पोडेन्ट सं. 15 व 16 को भूमि विक्रय कर दी। इसलिए इन्हे पक्षकार बनाया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर मातहत अदालत का आदेश दोयम दिनांक 05.07.2013 व 07.07.2015 निरस्त कर वसीयत के आधार पर अपीलान्ट के नाम इंतकाल दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 6, 7, 8 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि ग्राम पंचायत 22 आर जे डी, तहसील घड़साना द्वारा इन्तकाल सं. 146 दिनांक 05.07.2013 स्वीकृत किया गया है, जिसके विरूद्व अपीलान्ट ने प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी घड़साना पेश की। अपीलान्ट उक्त वसीयत दिनांक 10.05.1997 की बता रहा है तथा वसीयत कर्ता जीवा बाई की मृत्यु दिनांक 25.07.2006 को हुई है। विरास्तन इन्तकाल वर्ष 2013 में दर्ज हुआ है। अगर अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत वर्ष 2006 में होती तो वह विरास्तन इन्तकाल के वक्त पेश करती, क्या अपीलान्ट विरासतन इन्तकाल दर्ज होने का इन्तजार कर रहे थे। उक्त दस्तावेज/वसीयत संक्षम अधिकारी के सामने पेश नही करना अपने आप में संदेह पेदा करता है। अपीलान्ट के पास कूटरचित एवं फर्जी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

वसीयत है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि का विरासतन इंतकाल पूरी प्रक्रिया अपना कर दर्ज किया गया है जो सही है। उपखण्ड अधिकारी घड़साना द्वारा भी अपीलान्ट की अपील पूर्ण विवेचना कर खारिज की गई है जो सही है। अपीलान्ट इस द्वितीय अपील में अनुतोष प्राप्त नही कर सकता है। अतः अपीलान्ट की अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3, 6, 7, 8 विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRT 2023 (1) पेज 93, RRT 2003 (1) पेज 650 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना के निर्णय दिनांक 07.07.2015 व ग्राम पंचायत 22 आर जे डी तहसील घड़साना के द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 146 दिनांक 05.07.2013 के विरूद्व उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.07.2015 व नामान्तरण संख्या 146 दिनांक 05.07.2013 को निरस्त कर वसीयत के आधार पर अपीलान्ट के नाम इन्तकाल दर्ज करने का निवेदन किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि श्रीमती जीवा बाई पत्नी तोतासिह के नाम विवादित भूमि पूर्व मे दर्ज रिकार्ड रही है। जीवा बाई ने दिनांक 10.05.1997 को अपीलान्ट गुरमेल कौर के नाम भूमि को वसीयत किया जाना प्रतिवेदित हुआ है। जीवाबाई की दिनांक 25.07.2006 को मृत्यु हो जाना बताया है। ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण सं. 146 दिनांक 05.07.2013 के द्वारा तोतासिह के सभी वारिसान के नाम विरासतन नामान्तकरण दर्ज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 07.07.2015 मे अपील में वर्णित भूमि की वसीयत किया जाना माना है। ऐसी स्थिति में वसीयत के संबध में हितबद्व पक्षकारान को सुनकर वसीयत संबधी प्रकरण का विनिश्चय किया जाना चाहिए था। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत के फोतेदगी नामान्तकरण को सही ठहराया है, जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है। प्रकरण की विषयवस्तु विवादित

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नामान्तकरण संबधी मानते हुए उभयपक्ष/हितबद्ध पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णित किया जाना विधिक उपाय है। उपरोक्त विवेचन के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना, का निर्णय दिनांक 07.07.2015 व ग्राम पंचायत 22 आर जे डी के द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 146 दिनांक 05.07.2013 को कायम रखा जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः अपील अपीलान्ट आशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.07.2015 व नामान्तरण संख्या 146 दिनांक 05.07.2013 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार (राजस्व) घडसाना को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित (Remand) किया जाता है कि प्रकरण में सभी पक्षकारो को सुनकर वसीयत संबधी प्रकरण का निस्तारण करते हुए स्थापित विधि अनुसार नामान्तकरण संबधी कार्यवाही संपादित की जावे। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 26.03.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर